चम्पारण के चीनी उद्योग के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव (1950 ई॰ तक)

डॉ॰ रमेन्द्र कुमार सिंह
पिता– स्व॰ लालबाबू सिंह
पत्ता– बेलबनवा, मोतिहारी,
पूर्वी चम्पारण, पिन- 845 401

नील की खेती के विलोप होने के पश्चात दशकों से चम्पारण में कृषकों एवं कृषि मजदूरों की आजीविका का मुख्य स्त्रोत ईख की खेती रही हैं। चम्पारण की प्राकृतिक परिस्थितियों में जिसमें बाढ़ एवं दुर्भिक्ष के प्रकोप निरंतर बने रहते हैं। ईख ही एक मात्र फसल थी जो सहजता पूर्वक उगाई जा सकती थी। फलतः गन्ने की खेती का मौलिक क्षेत्रफल निरंतर बढ़ता गया। व्यापक पैमाने पर गन्ने की फसल के सदउपयोग के लिए चीनी का उत्पादन आवश्यक थी। फलस्वरूप 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में इस जिले में 09 आधुनिक चीनी मिलों का उदभव हुआ चीनी उद्योग में इस क्षेत्र की मंदीपूर्ण अर्थ व्यवस्था में स्थाई रोजगार तथा समृधि के द्वार खोले। उपलब्ध साक्षों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि चम्पारण में धान, जौ, मक्का तथा यदा–कदा गेहूँ जैसे खाद्यानों के बाद सबसे अधिक क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है, सौभावतः हजारों की संख्या में इस जिले के श्रमिक चीनी उद्योग में लगे हुऐ हैं। जिले की नौ चीनी मीले प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का गन्ना पेरती है।

उल्लेखनीय होगा कि चीनी उद्योग राज्य सरकार के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्त्रोत रहा है, चम्पारण की नौ चीनी मीलों से बिहार के राज्य कोष को गन्ना शेष एवं क्रयकर के रूप में प्रतिवर्ष भारी राशि मिलती रही है। चीनी मिलों के क्षेत्राधिकार में प्रवेश के पश्चात् समस्त गन्नें पर गन्ना शेष लगाया जाता था इसका उदेश्य था कि इस प्रकार प्राप्ति राशि का उपयोग गन्ने की उत्पादन में वृद्धि एवं शोध तथा गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में यातायात विद्युत एवं सिचाई इत्यादि सुविधाओं के विकास में किया जा सके।

1937 ई॰ से 1952 ई॰ तक गन्ना शेष की दर ढ़ेर आना प्रतिमन से तीन आना प्रतिमन रही। 1956–57 ई॰ तक यह दर तीन आना बनी रही तथा प्रतिवर्ष 30 लाख रुपये की राशि गन्ना शेष के रूप में इस जिले से राज्य सरकार को मिलती रही।

जिले के चीनी मिलों से केन्द्र सरकार को उत्पादन कर के रूप में एक अच्छी राशि उपलब्ध होती है, चीनी पर 1932 ई॰ एक अप्रैल को उत्पादन कर लगाया गया 1955 ई॰ तक चीनी पर उत्पादन कर को नीचे टेबल में देखा जा सकता हैः–

चीनी पर उत्पादन वर्ष (1932–1955)

वर्ष	दर रुपया प्रति क्विंटल चीनी
1932 (अप्रैल)	3.56
1934 (अप्रैल)	3.56
1937 (28 फरवरी)	3.56
1942 (मार्च)	3.56
1949 (मार्च)	3.56
1955 (मार्च)	3.56

स्त्रोतः– इंडियन सुगर मील एसोशियन द्वारा सुगर इंडस्ट्री इंक्वायरी कमिशन (1972) को दिया गया स्मार–पत्र, नई दिल्ली, पृष्ठ 01 प्रत्येक मील में केन्द्रीय उत्पाद विभाग का एक निरिक्षक एवं उसके कर्मचारी होते है जो सरकार के राजस्व हितों की देख–रेख करते है। 1953–54 ई॰ से 1957–58 ई॰ के बीच औसत प्रतिवर्ष इस जिले की चीनी

मिलों से केन्द्रीय उत्पाद करके रूप में 01, 19, 78, 450 रुपये एकत्र किये गये। छोवा प्रांतिये विषय में आता है तथा इस पर कोई कर नहीं लिया गया, किन्तु डिस्टीलरियों तक उनको भेजने में नियंत्रण बरता जाता रहा।

चम्पारण की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में गन्ने की खेती का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इस संदर्भ में पूरे बिहार के बारे में केन एण्ड सुगर डेवलपमेन्ट कमिटि (1956 ई॰) ने सत्य ही लिखा अपनी कृषि आधारित प्रकृति के कारण यह उद्योग केवल तैयार माल का मूल्य ही धारण नहीं करता, अपितु इसके महत्व का निर्धारण राज्य के कृषि क्षेत्र में इसकी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका के आधार पर किया जाना चाहिए। यह टिप्पणी चम्पारण के चीनी उद्योग के कारण चम्पारण के ग्रामिण क्षेत्रों में विशेषकर कई हजार गन्ना उत्पादकों तथा गन्ने की खेती में लगे कृषि श्रमिकों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में चीनी उद्योग से कटनी, कुली, गाड़ीवानो ईख के परिवहन से इसके सह उत्पादों तथा चीनी के परिवहन से जुड़े रेल कर्मचारियों को भी परोक्ष रोजगार मिलते है। इसी प्रकार इस उद्योग से सहयोग उद्योगों यथा चीनी व्यापार, बैंको तथा बीमा कंपनियों में भी रोजगार के अवसर उत्पन्न होते है। 50 के बाद के वर्षों में सफेद चीनी के निर्यात से चम्पारण की मीलों ने देश के लिए महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा की अर्जित की।

20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के प्रायः 20 हजार एकड़ से बढ़कर 05वीं दशक में चम्पारण जिले में गन्ने की खेती प्रायः एक लाख एकड़ भूमि में होने लगी। जिले में गन्ने की खेती की प्रकृति पर नील की खेती का स्पष्ट प्रभाव था, गन्ने की खेती की दो प्रणालिया थी। (क) जिरात प्रणाली तथा (ख) असामीवार प्रणाली

(क) जिरात प्रणालीः– इस प्रणाली के अन्तर्गत मीले अपनी जिरात फार्मों में सिधे गन्ना उगाती थी वे गन्ने की खेती में होने वाली सम्पूर्ण लाभ–हानि का स्वंय उतरदायित्व होती थी।

(ख) असामीवार प्रणालीः– प्रारम्भ में असामीवार प्रणाली दो प्रकार की थी– (अ) तीन कठियाँ करार 1917 के "चम्पारण एग्रेरियन एक्ट" के लागू होने के बाद यह प्रणाली समाप्त हो गई। इसके अन्तर्गत आसामी जमीन्दार (जो मूलतः नीलहें या मीलहे साहब होते थे) से प्राप्त जोत की पट्टे की भूमि में प्रति बीघा तीन कट्ठा गन्ना उपजाने के लिए विवश थे (ब) खुसकी करारः– इसके अन्तर्गत रैयत अग्रिम लेकर एक विशेष क्षेत्रफल की भूमि पर एक वर्ष के लिए गन्ना उपजाने का करार करता था।

तीन कठियाँ तथा खुसकी करारों में महत्वपूर्ण अन्तर यह था कि खुसकी करार केवल वार्षिक होता था तथा रैयत के इच्छा के बिना उसका नवीकरण नहीं किया जा सकता था। इसकी ओर तीन कठियाँ करार एक स्थायी करार था जिससे रैयत आसानी से बाहर नहीं निकल सकता था। पुनः खुसकी प्रणाली में उत्पादक बाजार के उतार–चाढ़ाव के आधार पर सर्ते रख सकता था,

नील के खेती के विपरीत सरकार चीनी उद्योग एवं गन्ने की खेती पर 1934–35 ई॰ से नजर रख रही थी। 1949–50 ई॰ तक बिहार में "सुगर केन एक्ट" 1934 लागू था। इसके प्रावधानों के अनुरूप बिहार सरकार गन्ने की न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती थी। 1942 ई॰ पूर्व चीनी के मूल्य पर बिहार सरकार का नियंत्रण था। अप्रैल 1942 ई॰ से चीनी के मूल्यों का निर्धारण केन्द्र सरकार करने लगी। चीनी का मूल्य निम्नलिखित तुल्य के अनुसार किया जाता था– उत्पादन लागत और सरकार द्वारा निर्धारित लाभांश गन्ने के मूल्य का संबंध अन्य बातों के अतिरिक्त गन्ने की चीनी की रिकभरी तथा चीनी के मूल्य से जोड़ा जाता था। चीनी मीलों को गन्ने की आपूर्ति करने वाले सभी उत्पादकों को उसके गन्ने की गुणवता पर विचार किए बिना सामान्य मूल्य दिया जाता था। इससे किसानों में गन्ने की गुणवता बढ़ाने के प्रति कोई विशेष उत्साह नहीं था। उल्लेखनीय होगा कि गन्ने का मूल्य का भूगतान भी नहीं होता था, तथा उत्पादकों का 20 से 25 प्रतिशत रुपये मीलों पर बकाया रहता था। जिसपर मीले कोई ब्याज भी नही देती थी। इससे भी चम्पारण में गन्ने के खेती के प्रति किसानों में उदासीनता रहती थी। उनके लागत मूल्य भी नहीं निकल पाता था। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति दिनों–दिन खराब होते जा रही थी।

सामाजिक प्रभावों का आकलन करते समय हम पाते है कि चम्पारण में कृषि श्रमिकों की संख्या धनयवाद तथा पूर्णिया जिले के पश्चात सर्वाधित है। 1951 ई॰ के जनगणना के अनुसार चम्पारण में कृषि मजदूरों की संख्या जिले के कुल जनसंख्या के 15% से अधिक था। चीनी उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग है अतः यह सामान्य आशा की जाती थी कि इससे चम्पारण में खेतिहर मजदूरों के स्थिति में सुधार आयेगा।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि चम्पारण की सामाजिक संरचना में सवर्ण कही जाने वाली चारों जातियों ब्राह्मण, राजपूज, भूमिहार एवं कायस्त में एक भी कृषि मजदूर नहीं मिलते। स्टोवेशन– मूर रपट के बाद की स्थिति प्रायः पूर्वतः ही रही क्योंकि चम्पारण के भूमि व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। इस प्रकार स्पष्ट है कि कृषि मजदूरों में तथा दलित जातियों के ही संख्या अधिक थी, विशेष द्रष्टव्य होगा कि दलित जातियों में गणना होने के बावजूद कालवारों में भी कृषि मजदूरों की संख्या शुन्य थी।

अतः जैसे की धारण है कि चम्पारण में चीनी उद्योग से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरों के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रोजगार देकर क्रय शक्ति बढ़ाने में सहायता की, साथ ही चम्पारण के किसानों एवं चीनी उद्योग से संबंधित सभी उद्योगों के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक सम्पन्नता आई।